

सारण समाहरणालय, छपरा

कार्यालय अधीक्षक उत्पाद, सारण (छपरा)

बन्दोबस्ती हेतु अधिसूचना

वित्तीय वर्ष 2015–16

उत्पाद प्रपत्र–127

बन्दोबस्ती की तिथि :— 12 मार्च, 2015
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि :— 07 मार्च, 2015
(अपराह्न 5.00 बजे तक)

समाहरणालय सारण, छपरा

(उत्पाद शाखा)

सूचना

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सारण जिलाभ्यर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए देशी/मसालेदार देशी शराब की 67 दुकानें, विदेशी शराब की 70 दुकानें एवं कम्पोजिट शराब की 77 दुकानों की बन्दोबस्ती लॉटरी प्रणाली द्वारा दिनांक 12.03.2015 को अकाता भवन सारण, छपरा में समाहर्ता द्वारा की जायेगी।

उक्त दुकानों की बन्दोबस्ती में भाग लेने वाले इच्छुक उम्मीदवार दुकान के लिए अपना आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में कार्यालय द्वारा निर्गत बिक्री अधिसूचना (उत्पाद प्रपत्र 127) ज्ञापांक-231 दिनांक-24/3/15 से अपने को आबद्ध रखते हुए इससे संबंधित कागजातों, तथा आवेदित दुकान के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि नकद, बैंक फ्रापट/वेक के साथ अधीक्षक उत्पाद, सारण, छपरा, के कार्यालय में दिनांक-07.03.2015 अपराह्न 5.00 बजे तक जमा कर सकते हैं। साथ ही बिक्री अधिसूचना के साथ-साथ आवेदन पत्र दुकानों की सूची/दूकानों का मासिक व्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा एवं मासिक अनुज्ञाप्ति शुल्क आदि की पुस्तिका अधीक्षक उत्पाद, सारण, छपरा, के कार्यालय से निर्धारित दर पर प्राप्त की जा सकती हैं।

विस्तृत जानकारी के लिए अधीक्षक उत्पाद, सारण के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है अथवा विभाग के वेबसाइट www.excise.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।



समाहर्ता,
सारण, छपरा।

बिक्री अधिसूचना

वित्तीय वर्ष 2015-16 (1ली अप्रैल 2015 से 31 मार्च, 2016 तक) (देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब तथा कम्पोजिट शराब दुकानों की खुदरा बिक्री के लिए)

1. इसके साथ संलग्न सूची में अंकित स्थानों या अवस्थिति के क्षेत्रों के लिए देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब तथा कम्पोजिट शराब की खुदरा दुकानों की बन्दोवस्ती दिनांक 12.03.15 को तथा आवश्यकतानुसार उसके अगले दिन 10:00 बजे दिन से (स्थान) एकता नगर में लॉटरी प्रणाली द्वारा निर्धारित फीस पर बन्दोवस्ती की जायेगी।
2. लॉटरी द्वारा दुकानों की बन्दोवस्ती निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी और इन सभी शर्तों से अपने को प्रतिबद्ध रखते हुए ही कोई व्यक्ति बन्दोवस्ती में भाग ले सकता है।
3. लॉटरी द्वारा बन्दोवस्ती होने वाली देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब तथा कम्पोजिट शराब की दुकानों की अवस्थिति के मामले में दुकान के स्थान या स्थान के नाम के बदले एक या अनेक दुकानों की अवस्थिति का क्षेत्र घोषित कर बन्दोवस्ती की जायेगी।
- (क) सभी प्रकार के शराब के खुदरा दुकानों को लॉटरी प्रणाली द्वारा मूल रूप से दुकानवार बन्दोवस्त किया जाएगा लेकिन राजस्व हित में अधिकाधिक दुकानों की बन्दोवस्ती के प्रयोजनार्थ उत्पाद दुकानों की बन्दोवस्ती एकल दुकान या अधिकतम 03 (तीन) खुदरा उत्पाद दुकानों का समूह बनाकर वर्तमान नीति के प्रावधानों के तहत लॉटरी द्वारा बन्दोवस्त किया जाएगा। छोटा समूह अधिकतम तीन दुकानों का इस प्रकार बनाया जाएगा जिसमें, लाभकर दुकानों के साथ अपेक्षाकृत कम लाभ वाले दुकानें भी रहेंगी।

दुकानों के प्रत्येक समूह (एकल दुकान के समूह सहित) के लिए तीन व्यक्तियों का नाम लॉटरी द्वारा निकाला जाएगा। लॉटरी द्वारा निकाले गए प्रथम नाम के साथ ही दुकान की बन्दोवस्ती की जाएगी। यदि किसी कारण से प्रथम व्यक्ति के साथ बन्दोवस्त नहीं हो सके या बन्दोवस्ती के बाद भी यदि अनुज्ञाप्ति विखंडित हो जाती है तो उक्त समूह (एकल दुकान के समूह सहित) के दुकान के लिए चयनित दूसरे लॉटरी विजेता तथा उसके मुकर जाने के उपरांत तीसरे लॉटरी विजेता के साथ बन्दोवस्ती की जाएगी।

यदि लॉटरी विजेता दुकान/दुकानों के समूह की बन्दोवस्ती लेने से मुकर जाता है तो वह राज्य के किसी भी दुकान की बन्दोवस्ती लेने से निरहित हो जाएगा।

(ख) किसी जिला में चयनित आवेदक के साथ तीन समूह के दुकानों से अधिक दुकानों की बन्दोवस्ती नहीं की जायेगी तथा एकल दुकान बन्दोवस्त होने की स्थिति में भी एक दुकान को एक समूह माना जाएगा।

(ग) किसी दुकान या दुकानों के समूह के लिए तीन से कम अभ्यर्थी होने की स्थिति में उपलब्ध अभ्यर्थियों के बीच ही लॉटरी द्वारा बन्दोवस्ती की कारवाई की जायेगी।

5. इस विक्री अधिसूचना में वर्णित शर्तें अनुज्ञाप्ति की भी शर्तें मानी जायेगी। विक्री अधिसूचना के प्रपत्र की प्रतिलिपि समाहर्ता के कार्यालय/विभाग के वेबसाईट www.excise-bihar.gov.in पर देखी जा सकती है।

6.(क) लौटरी द्वारा बंदोवस्त खुदरा दुकानों की अनुज्ञाप्ति 1ली अप्रील, 2015 से प्रभावी होगी जो 31 मार्च, 2016 तक के लिए प्रदान की जायेगी। किसी अनुज्ञाप्ति की बंदोवस्ती अगर वर्ष 2015–16 के बीच में किसी अन्य तिथि के प्रभाव से की जाती है तब भी बंदोवस्ती की तिथि से 31 मार्च, 2016 तक के लिए ही अनुज्ञाप्ति प्रदान की जायेगी।

(ख) अनुवर्ती वर्ष के लिए अनुज्ञाप्ति नवीकरण सरकार द्वारा निर्धारित बंधेज एवं शर्तों पर की जा सकती है, परंतु दो उत्पाद वर्ष जो दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त होगी, उससे अधिक अवधि के लिए अनुज्ञाप्ति नहीं दी जायेगी।

7. (क) लौटरी द्वारा खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोवस्ती लेने वाले इच्छुक अभ्यर्थी (आवेदक) को अपने आवेदन के साथ वैयक्तिक पहचान–प्रमाण (आइडेंटिटी प्रुफ) के रूप में स्थायी निवास के प्रमाण के लिए फोटो युक्त पहचान–पत्र जैसे मतदाता परिचय–पत्र, पासपोर्ट, आयकर स्थायी खाता संख्या, एवं ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी एक प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि समर्पित करने की अनिवार्यता होगी तथा यदि किसी कारणवश फोटो युक्त पहचान पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न कर नहीं समर्पित की जाती है तो किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित फोटो तथा राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी राशन कार्ड, निवास प्रमाण–पत्र, जल/टेलीफोन/बिजली बिल, बैंक का जीवित खाता स्टेंटमेंट इनमें से किसी एक प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करने की अनिवार्यता होगी।

लौटरी प्रणाली द्वारा बंदोवस्त की जानेवाली खुदरा देशी शराब/मसालेदार देशी शराब दुकानें, भारत निर्मित हिदेशी शराब की दुकानें तथा कंपोजिट शराब की दुकानों की बंदोवस्ती लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति एक या एक से अधिक दुकान या एक से अधिक समूह की दुकानों के लिए भी आवेदन दे सकता है, वशर्ते सभी दुकानों एवं समूह के दुकानों जिसके लिए आवेदन देगा उसपर विभाग द्वारा निर्धारित अलग–अलग आवेदन शुल्क (प्रोसेसिंग फी) जमा करना होगा जो उन्हें वापस लौटाई नहीं जाएगी। परन्तु, अधिकतम तीन समूह के दुकानों से अधिक दुकानों की बंदोवस्ती एक जिले में एक व्यक्ति के साथ नहीं की जायेगी तथा एकल दुकान बंदोवस्त होने की स्थिति में भी एक दुकान को एक समूह माना जाएगा।

(ख). लौटरी द्वारा बंदोवस्त की जानेवाली उत्पाद खुदरा दुकानों के लिए प्रत्येक इच्छुक आवेदकों से दुकानों को दो श्रेणी में विभक्त कर यथा हाई पोटेंसियल जोन एवं लो पोटेंसियल जोन के आधार पर समर्पित की जानेवाली आवेदन के साथ दुकानवार निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि, जो वापसी योग्य नहीं है, को एकीकृत कर “हाई पोटेंसियल जोन” के लिए निर्धारित श्रेणीवार दुकानों के लिए निर्धारित किए गए आवेदन शुल्क की राशि ही मिम्नवत निर्धारित दर से आवेदन शुल्क की राशि के रूप में देय होगा।

क्षेत्र का नाम	हाई पोर्टेशियल तथा लो पोर्टेशियल जॉन के लिए
पटना नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित	रु0 7000.00 (सात हजार)
अन्य नगर निगम क्षेत्र के लिए	रु0 5000.00 (पाँच हजार)
नगर परिषद् के लिए	रु0 4000.00 (चार हजार)
नगर पंचायत क्षेत्र के लिए	रु0 3000.00 (तीन हजार)
प्रखण्ड मुख्यालय (जो उपर्युक्त क्षेत्रों से भिन्न हो)	रु0 3000.00 (तीन हजार)
अन्य ग्रामीण क्षेत्र	रु0 2000.00 (दो हजार)

छोटे समूह में उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती लेनेवाले इच्छुक आवेदकों से आवेदन शुल्क की राशि समूह के प्रत्येक दुकान के लिए अलग—अलग निर्धारित दर पर ही जमा कराई जाएगी, न कि समूह के दुकानों को एक दुकान मानकर उन्हें समूह के दुकान के लिए एक दुकान का आवेदन शुल्क जमा करने की छूट दी जाएगी।

अभ्यर्थी राज्य के किसी भी जिला में अवस्थित किसी भी दुकान के लिए आवेदन दे सकते हैं। यदि वे चाहें तो जिस जिला में वे रहते हैं, वहाँ के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के कार्यालय से बाहर के जिला में अवस्थित दुकानों के लिए भी आवेदन दे सकते हैं, परन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन फीस बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से समर्पित करना होगा जो उस जिला में भुगतेय होगा जिस जिला की दुकान के लिए वह आवेदन देगा।

8. बंदोबस्ती में किसी भी आवेदक के विरुद्ध निम्नांकित कोई अयोग्यता पाये जाने पर उसके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा —

- (क). अगर वह 21 वर्ष से कम आयु का हो,
- (ख). वह सरकारी बकायेदार हो।
- (ग). आवेदक का नाम उत्पाद बकायेदार की सूची या काली सूची में हो।
- (घ) अगर वह दिवालिया (इंनसोलवेंट) हो।

आवेदक को उपरोक्त अयोग्यता नहीं रहने के समर्थन में निम्नांकित आशय का शपथ पत्र अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

- (i) उसपर कोई सरकारी देयता अथवा बकाया नहीं है ;
- (ii) उसका नाम उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की बकाया अथवा काली सूची में नहीं है,
- (iii) उसे बिहार उत्पाद अधिनियम 1915 एवं उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के प्रावधानों के अधीन उत्पाद अनुज्ञाप्ति धारण करने से न तो वर्जित किया गया है और न किसी भी अन्य राज्य से तत्संबंधी प्रावधानों के अन्तर्गत अनुज्ञाप्ति धारण करने से वर्जित किया गया है तथा उसका नाम अन्य राज्यों की बकाया एवं काली सूची में नहीं है ;

(iv) उसका नैतिक चरित्र अच्छा है और उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तथा उसके बिहार उत्पाद अधिनियम 1915, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 या किसी संज्ञेय एवं गैर जमानतीय अपराध में दंडित किये जाने की स्थिति में वह एक वर्ष से अधिक की कारावास-अवधि का सजायफ्ता नहीं हैं ; और

(v) यह अन्डरटेकिंग कि उसके अनुज्ञाधारी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में, राज्य के जिन-जिन जिलों में पूर्व में वह लाइसेन्सी रहा है, उन जिलों से बकायादार/काली सूची में सम्मिलित नहीं होने से संबंधित प्रमाण-पत्र लाइसेन्स जारी होने के 60 (साठ) दिनों के भीतर यदि उसके द्वारा लाइसेंसिंग पदाधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो लाइसेंसिंग पदाधिकारी उसकी अनुज्ञाप्ति को निरस्त/विखंडित कर सकेगा।

9. बंदोबस्ती में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थी अपनी पात्रता के पक्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन के साथ सभी परिपूर्ण अभिलेख बंदोबस्ती के दिन को छोड़कर पॉच दिन पूर्व जिला उत्पाद कार्यालय में जमा करेगा तथा उसकी प्राप्ति रसीद लेगा। आवेदन के साथ निम्नांकित कागजात (आवेदन शुल्क की राशि सहित) समर्पित करने की अनिवार्यता होगी :

(क) एकल दुकान या समूह की दुकानों, जिसके लिए वे आवेदन देना चाहते हैं, उसके लिए अलग-अलंग दर पर निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि नगद, बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा;

(ख) शपथ पत्र (बिकी अधिसूचना के प्रावधानानुसार),

(ग) वैयक्तिक पहचान प्रमाण (आइडेंटिटी प्रूफ) से संबंधित वांछित कागजात।


10. कर्तव्यस्थ पदाधिकारियों से मिन्न कोई भी व्यक्ति बंदोबस्ती वाले हॉल में हॉल टिकट प्रस्तुत किये बिना प्रवेश नहीं कर सकता है। जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद, जैसी भी स्थिति हो, वास्तविक आवेदक या उसकी अनुपस्थिति में उसके एक प्राधिकृत प्रतिनिधि को एक निःशुल्क हॉल टिकट निर्गत करेंगे।

11. दुकानों की बंदोबस्ती के लिए लॉटरी निकालने के दो दिन पूर्व उस दुकान के योग्य व्यक्तियों के नामों की सूची प्रकाशित कर दी जायेगी।

12. किसी भी आवेदक की वैयक्तिक पहचान पत्र, पात्रता एवं उनके द्वारा समर्पित शपथ-पत्र के संबंध में दूसरे आवेदक द्वारा लिखित चुनौती/लॉटरी के पूर्व दी जा सकती है। आवेदक की पात्रता, शपथ-पत्र एवं संबंध में अनुज्ञाप्ति पदाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

13. (क) यदि कोई दुकान/दुकानों के समूह किसी कारण से बंदोबस्त नहीं हो सके, तो समाहिता पुनः बिकी अधिसूचना प्रकाशित करेंगे। परंतु इसके लिए पन्द्रह दिन पूर्व बिकी अधिसूचना प्रकाशित करने की बाध्यता नहीं रहेगी।

(ख) बंदोबस्ती सर्वप्रथम 'वैसी दुकान/दुकानों के समूहों से प्रारंभ की जायेगी जिसका न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा कम होगी।



14 (क) बंदोवस्ती के तुरंत बाद बंदोवस्तदार को वार्षिक अनुज्ञाशुल्क का बारहवां भाग अग्रिम अनुज्ञाशुल्क के रूप में बैंक ड्राफ्ट/नकद जमा करना होगा।

बंदोवस्तदार को वार्षिक अनुज्ञाप्तिफीस के बारहवें भाग के बराबर प्रतिभूति राशि नगद या बैंक ड्राफ्ट या बैंक गारंटी या जिले के समाहर्ता अथवा सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के पदनाम से बंधीकृत फिक्सड डिपोजिट (Scheduled Nationalised Bank का) या थातीकृत राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र के रूप में बंदोवस्ती के तुरंत बाद जमा करना होगा। बैंक गारंटी की मान्यता अवधि जून, 2016 रहेगी।

(ख) बंदोवस्तदार/अनुज्ञाप्तिधारी प्रत्येक माह की 1ली तारीख को वार्षिक अनुज्ञाप्ति फीस का 12वां भाग जिला के कोषागार में जमा करेगा। किसी कारणवश पहली तारीख तक अनुज्ञाप्तिफीस जमा नहीं कर सकने की स्थिति में अनुज्ञाधारी संबंधित जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद से कारण सहित समय के लिए अनुरोध कर सकता है परन्तु हर हाल में माह की 20वीं तारीख तक अनुज्ञाप्ति फीस अवश्य जमा कर देगा। यदि 20वीं तारीख सार्वजनिक अवकाश का दिन हो तो अगले कार्य दिवस को जमा करेगा, अन्यथा अनुज्ञाप्ति रद्द कर दी जायेगी तथा जमा संपूर्ण प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जायेगी तथा उक्त दुकान/दुकानों के समूह लॉटरी के कम संख्या दो के अभ्यर्थी के साथ अथवा अभ्यर्थी संख्या-2 को दुकान लेने से इंकार करने पर अभ्यर्थी संख्या तीन के साथ बंदोवस्त कर दी जायेगी।

(ग) खुदरा उत्पाद दुकानों की समूह में बंदोवस्ती लेने वाले अनुज्ञाधारियों की, समूह के किसी दुकान की अनुज्ञाप्ति की शर्तों के उल्लंघन के लिए उस दुकान की अनुज्ञाप्ति के साथ-साथ समूह के अन्य दुकानों की अनुज्ञाप्तियों भी बिहार उत्पाद अधिनियम की धारा 42(2) के अंतर्गत नैसर्गिक न्याय सिद्धांत का पालन करते हुए विखंडित कर समूह के सभी दुकानों की जमानत राशि एवं अग्रिम अनुज्ञाशुल्क जब्त कर ली जा सकेगी।

15. (क) जहां बंदोबस्ती पूरे वर्ष के लिए होगी वहां अनुज्ञाप्ति फीस कुल वार्षिक अनुज्ञाप्ति फीस का बारहवां भाग उपर्युक्त कंडिका (ख) के अनुसार जमा करेगा। परन्तु जहां बंदोवस्ती साल के बीच में होगी वहां समानुपातिक मासिक अनुज्ञाशुल्क देय होगी।

(ख) किसी मदिरा की दुकानें सम्पूर्ण उत्पाद वर्ष के लिए बंदोवस्त की जायेगी। अगर बंदोबस्ती साल के बीच में होगी तो वैसी स्थिति में वह उत्पाद वर्ष की 31वीं मार्च तक प्रभावी रहेगी।

(ग) प्रतिभूति राशि तथा एक माह की अग्रिम अनुज्ञाप्ति फीस के साथ-साथ जिस माह से अनुज्ञाप्ति दी गयी है, उस माह की अनुज्ञाप्ति फीस भी जमा करने के बाद बंदोबस्तदार के पक्ष में अनुज्ञाप्ति तुरंत निर्गत कर दी जायेगी। अग्रिम अनुज्ञाशुल्क, वर्ष की समाप्ति वाले माह में समायोजित होगी, इसके लिए अनुज्ञाधारी को आवेदन देना होगा परन्तु प्रतिभूति राशि अनुज्ञाप्ति अवधि की समाप्ति के बाद, उसके बकाया राशि, अगर कुछ हो, की कटौती कर वापस की जायेगी।

(घ.) स्थल का अनुमोदन होते ही स्थल का व्योरा अनुज्ञाप्ति में अकित कर दिया जायेगा।

16 (क) कंडिका 15(ग) के अनुसार अनुज्ञाप्ति प्राप्त होते ही आपत्ति रहित स्थल उपलब्ध कराने की पूरी जबावदेही अनुज्ञाधारी की होगी। अनुज्ञाधारी बंदोबस्ती के बाद दस दिनों के अंदर, आपत्ति रहित प्रस्तावित दुकान परिसर के पूर्ण विवरण के साथ उसके अनुमोदन हेतु जिला के समाहर्ता को आवेदन देगे। समाहर्ता द्वारा अनुमोदित स्थल पर ही दुकान खोली जायेगी। स्थल की स्वीकृति/अस्वीकृति का निर्णय आवेदन प्राप्ति के दस दिनों के अन्दर समाहर्ता द्वारा कर दिया जायेगा, अन्यथा अधीक्षक उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद तथा समाहर्ता संयुक्त रूप से राजस्व क्षति के लिए उत्तरदायी होंगे।

बंदोबस्ती के सफल लॉटरी विजेता अनुज्ञाप्ति स्थल के अनुमोदन हेतु समर्पित किये जाने वाले अपने आवेदन पत्र के साथ अनुज्ञाप्ति स्थल के प्रवेश-द्वार एवं अंदर के भाग तथा उसके चौहड़ी में स्थित भूमि-भवन/खाली स्थानों का Still Photograph, जिसमें मात्र उनकी भी उपस्थिति रहेगी, तीन प्रतियों में अधीक्षक उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद को प्रस्तुत करेंगे।

(ख) बंदोबस्ती के सफल लॉटरी विजेता अनुज्ञाप्ति निर्गत होने की तिथि से दो माह के अंदर अपने स्थायी लेखा संख्या (PAN) के कार्ड की छायाप्रति अधीक्षक उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

(ग) ग्रामीण क्षेत्र के कंपोजिट शराब की दुकानें शहरी क्षेत्र (नगर निगम, नगर परिषद्, नगर पंचायत) की सीमा से कम से कम दो किलोमीटर की दूरी पर खोली जाएगी तथा प्रखंड मुख्यालय अवस्थित पंचायत की सीमा से कम से कम एक किलोमीटर की दूरी पर खोली जाएगी।

17. स्थल चयन के कारण दुकान खोलने में बिलम्ब के लिए अनुज्ञाप्तिधारी स्वयं जिम्मेवार होगा, तथा इसके लिए किसी प्रकार की छूट/क्षतिपूर्ति का वह हकदार नहीं होगा।

18. सरकार शराब पर देय उत्पाद कर में एवं राजस्व पर्षद लागत मूल्य में किसी भी समय परिवर्तन कर सकती है।

19.(क) बिक्री अधिसूचना में अकित वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का बारहवां भाग प्रत्येक माह में अनुज्ञाधारी को उठाना होगा। निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के उपर किन्तु 15 प्रतिशत तक अधिक उठाव करने पर अनुज्ञाप्ति फीस पर पूर्ण छूट होगी परन्तु निर्धारित कोटा के 15 प्रतिशत से भी उपर उठाव करने पर देय प्रति एल०पी०एल० अनुज्ञाप्ति फीस की राशि का 50 प्रतिशत राशि का भुगतान अतिरिक्त अनुज्ञाप्ति फीस के रूप में अग्रिम रूप से देय होगा। किसी माह का बद्दा हुआ कोटा अगले माह में उठाने पर इसे अतिरिक्त उठाव नहीं माना जायेगा परन्तु माह मार्च का बचा हुआ कोटा माह अप्रैल में उठाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(ख) विदेशी शराब की खुदरा अनुज्ञाप्ति के नामले में यदि कोई बंदोबस्तदार अपनी अनुज्ञात परिसर को "ऑन" बिक्री में परिवर्तित करना चाहेगा तो वह उस दुकान के वार्षिक अनुज्ञाप्ति फीस का दस प्रतिशत अधिक राशि देने की सहमति के साथ संबंधित जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद को आवेदन देगा। उसके आवेदन पर विचार करते हुए उसे अपनी दुकान में "ऑन" विक्री की अनुमति दी जायेगी लेकिन ऐसी स्थिति में उत्पाद नियम 47 के अंतर्गत स्थल आपत्ति रहित होने पर ही यह सुविधा दी जा सकती है।

- (ग) "ऑन" बिकी के लिए उसी परिसर से सटा हुआ एक अलग कमरा/जगह जो "ऑफ" काउन्टर से अलग हो, रखना होगा तथा उसका पूर्ण विवरण तथा नक्शा का ब्लू प्रिंट तीन प्रतियों में समाहर्ता के अनुमोदनार्थ देना होगा, जो समाहर्ता से अनुमोदित होना अनिवार्य होगा।
- (घ) समानुपातिक मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस तक अनुज्ञाधारी को उठा लेना होगा।
- (ङ.) प्रत्येक प्रकार की मदिरा के बोतल/सैसे पर अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित रहेगा तथा उससे अधिक मूल्य पर उपभोक्ता को नहीं बेचेगा।
20. अनुज्ञाधारी उठायी गयी सम्पूर्ण शराब की मात्रा अनुज्ञित अवधि की समाप्ति के पूर्व तक बेचना सुनिश्चित करेगा।
21. मदिरा की अनापूर्ति की दशा, दुकान खुलने में विलम्ब, चुनाव के कारण दुकान की बंदी आदि की दशा में सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं दी जायेगी और नहीं अनुज्ञाशुल्क में छूट का कोई दावा स्वीकार किया जायेगा।
- 22(क) अनुज्ञाधारी अपनी अनुज्ञित परिसर के बाहर मुख्य दरबाजा पर लगी बोर्ड पर निम्नांकित सूचनाएं स्पष्ट रूप से उल्लेखित करेगा –
- (i). दुकान का नाम एवं अनुज्ञित अवधि,
 - (ii). अनुज्ञाधारी का नाम
 - (iii). दुकान के अधिकृत बिक्रेता का नाम
 - (iv). सभी श्रेणी के शराब का अधिकतम खुदरा मूल्य
- (ख). बंदोवस्तधारी अपने अनुज्ञित परिसर के प्रवेश द्वार पर विभागीय पत्राक 4085 दिनांक 31.12.10 में निर्धारित मानक के अनुसार 3'x2.5' साईज का साईन बोर्ड लगायेंगे तथा उस पर निर्धारित भाषा एवं रंग में ही आवश्यक सूचना लिखवायेंगे।
- (ग). बंदोवस्तधारी अपने अनुज्ञित परिसर अथवा उसके आस-पास किसी उत्तेजक चित्र एवं भाषा वाले पेटिंग्स/बोर्ड का उपयोग न तो स्वयं करेंगे और नहीं किसी अन्य को इसकी अनुमति देंगे।
- (घ). बंदोवस्तधारी, निगम के डीपो से पासबुक में प्रविष्टि कराकर ही मदिरा का निर्गमण लेंगे।
- 23.(क) बंदोवस्तदार बिहार उत्पाद अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बने उन सभी नियमों का पालन करेगा जो राज्य सरकार/राजस्व पर्षद द्वारा बनाये गये हैं, या समय-समय पर बनाये जायेंगे। साथ ही, अनुज्ञितधारी सक्षम पदाधिकारी से समय-समय पर जारी किये गये या किये जाने वाले सभी संबंधित आदेशों, निर्देशों एवं अनुदेशों का अनुपालन करेगा।
- (ख) अनुज्ञित परिसर में निरीक्षण के समय अनुज्ञाधारी निरीक्षी पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करेगा। स्टॉक पंजी प्रत्येक दिन का अद्यतन लिखना आवश्यक होगा। अनुज्ञित परिसर में अनुज्ञित भी रखना होगा तथा मांगने पर सभी अभिलेख प्रदर्शित करना होगा।
24. राज्य सरकार अपनी बंदोबस्ती नीति में किसी भी समय परिवर्तन करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखती है।

25. इस बिक्री अधिसूचना की शर्त अनुज्ञाप्ति की शर्त भी मानी जायेगी तथा इसके उल्लंघन के लिए उत्पाद अधिनियम की धारा 42 एवं अन्य संगत प्रावधानों के अंतर्गत अनुज्ञाप्तिधारी के विलद्ध कार्रवाई की जायेगी।

४८

समाहर्ता,
सारण

समाहरणालय का नाम:- सारण, छपरा

दिनांक:- 24-2-2015

समाहरणालय सारण (छपरा)
(उत्पाद शाखा)

ज्ञाप सं0:- २३५ दि0:- २५.२.१५

प्रतिलिपि:- आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना/आयुक्त उत्पाद के सचिव, बिहार, पटना/संयुक्त आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना/सभी उपायुक्त उत्पाद/सभी सहायक आयुक्त उत्पाद/सभी अधीक्षक उत्पाद/पुलिस अधीक्षक, सारण/समाहर्ता, सारण के निजी सहायक/अध्यक्ष नगरपालिका, छपरा, रिविलगंज, मङ्गौरा, सोनपुर, दिघवारा, एकमा/अनुमण्डल पदाधिकारी, छपरा सदर, सोनपुर, मङ्गौरा/जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, सारण/अध्यक्ष जिला परिषद्, सारण/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी, सारण/निरीक्षक उत्पाद, सारण/सभी अवर निरीक्षक उत्पाद, सारण को सूचनार्थ एवं विस्तृत प्रचारार्थ प्रेषित। बिक्री अधिसूचना की एक प्रति कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चिपका दी जाय।

इक्कुक उम्मीदवार विहित प्रपत्र में पांच रु० का कोर्ट फी स्टाम्पयुक्त आवेदन पत्र आवेदित समूह के निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि (नगद/बैंक ड्राप्ट/बैंकर्स चेक द्वारा) शपथ पत्र (बिक्री अधिसूचना के प्रावधानानुसार) एवं वैयक्तिक पहचान पत्र से संबंधित कागजात के साथ दि0-०७.०३.१५ को अपराह्न ५.०० बजे तक अधीक्षक उत्पाद, सारण के कार्यालय में समर्पित कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवारों की सूची लॉटरी हेतु निर्धारित तिथि के दो दिनों पूर्व प्रकाशित की जाएगी। प्रत्येक समूह के लिए योग्य उम्मीदवारों की सूची में आवेदक के नाम के सामने अंकित क्रमांक ही उनके लॉटरी का क्रमांक माना जाएगा। आवेदनशुल्क की राशि की प्राप्ति रसीद को ही होल टिकट के रूप में मान्यता दी जायी है।

बिक्री अधिसूचना २५/-रु० नगद के भूगतान पर जिसकी प्राप्ति रसीद भी ले लेंगे, जिला उत्पाद कार्यालय सारण, छपरा से प्राप्त किया जा सकता है।

विशेष जानकारी के लिए विभाग के वेबसाईट www.excise.bih.nic.in पर देखा जा सकता है या अधीक्षक उत्पाद सारण, छपरा के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

समाहर्ता,
सारण

जिला-सारण (छपरा)

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए सारण जिला की खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती हेतु समूहवार सूची

संग्रह सं.०	दुकान का नाम	समूह में दुकानों की संख्या	दुकानों का क्षेत्र	मासिक व्यूनातम प्रत्याभूत मात्रा					मासिक अनुज्ञाशुल्क की राशि (रुपया)	समूह का मासिक अनुज्ञाशुल्क (रुपया)	आवेदन शुल्क (रुपया)
				देशी (L.P.L)	म०देशी (L.P.L)	योग (L.P.L)	विदेशी (L.P.L)	बीचर (B.L)			
1	छपरा न०परि० देशी/म०दे० नं०-१	2	छपरा नगर परिषद्	2800	300	3100	279000	604000	8000
	छपरा न०परि० विदेशी नं०-१			1900	4000	325000		
2	छपरा न०परि० देशी/म०दे० नं०-२	2	छपरा नगर परिषद्	2800	300	3100	279000	604000	8000
	छपरा न०परि० विदेशी नं०-२			1900	4000	325000		
3	छपरा न०परि० देशी/म०दे० नं०-३	2	छपरा नगर परिषद्	2800	300	3100	279000	604000	8000
	छपरा न०परि० विदेशी नं०-३			1900	4000	325000		
4	छपरा न०परि० देशी/म०दे० नं०-४	2	छपरा नगर परिषद्	2800	300	3100	279000	604000	8000
	छपरा न०परि० विदेशी नं०-४			1900	4000	325000		
5	छपरा न०परि० देशी/म०दे० नं०-५	2	छपरा नगर परिषद्	2800	300	3100	279000	604000	8000
	छपरा न०परि० विदेशी नं०-५			1900	4000	325000		
6	छपरा न०परि० देशी/म०दे० नं०-६	2	छपरा नगर परिषद्	2800	300	3100	279000	604000	8000
	छपरा न०परि० विदेशी नं०-६			1900	4000	325000		
7	छपरा न०परि० देशी/म०दे० नं०-७	2	छपरा नगर परिषद्	2800	300	3100	279000	604000	8000
	छपरा न०परि० विदेशी नं०-७			1900	4000	325000		
8	छपरा न०परि० देशी/म०दे० नं०-८	2	छपरा नगर परिषद्	2800	300	3100	279000	604000	8000
	छपरा न०परि० विदेशी नं०-८			1900	4000	325000		
9	छपरा न०परि० देशी/म०दे० नं०-९	2	छपरा नगर परिषद्	2800	300	3100	279000	604000	8000
	छपरा न०परि० विदेशी नं०-९			1900	4000	325000		
10	छपरा न०परि०देशी/म०दे० नं०-१०	2	छपरा नगर परिषद्	2800	300	3100	279000	604000	8000
	छपरा न०परि० विदेशी नं०-१०			1900	4000	325000		
11	छपरा न०परि० देशी/म०दे० नं०-११	2	छपरा नगर परिषद्	2800	300	3100	279000	604000	8000
	छपरा न०परि० विदेशी नं०-११			1900	4000	325000		
12	छपरा न०परि० विदेशी नं०-१२	2	छपरा नगर परिषद्	1980	4000	337000	579500	6000
	कम्पोजिट-०१		डुमरी, मुसेपुर, खलपुर बाला, शेरपुर	1150	150	1300	770	1000	242500		
13	छपरा न०परि०देशी विदेशी नं०-१३	2	छपरा नगर परिषद्	1980	4000	337000	577000	6000
	कम्पोजिट-०२		नरहरपुर, रामपुर, रसूलपुर	1050	250	1300	760	900	240000		

संख्या	दुकान का नाम	समूह में दुकानों की संख्या	दुकानों का क्षेत्र	मासिक व्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा					मासिक अनुच्छाशुल्क की राशि (रुपया)	समूह का मासिक अनुच्छाशुल्क (रुपया)	आवेदन शुल्क (रुपया)
				देशी	म०देशी	योग	विदेशी	बीयर			
				(L.P.L)	(L.P.L)	(L.P.L)	(L.P.L)	(B.L)			
14	छपरा न0परि0 विदेशी नं0-14 कम्पोजिट-03	2	छपरा नगर परिषद् बरदहियां, इतरौली, माधोपुर	1980	4000	337000	580000	6000
				1050	250	1300	780	900	243000		
15	छपरा न0परि0विदेशी नं0-15 कम्पोजिट-04 कम्पोजिट-05	3	छपरा नगर परिषद् अनवल, देवरिया टैकनिवास, मुकरेरा, ईनर्ह	1980	4000	337000	790500	8000
				900	200	1100	700	1200	216000		
				900	300	1200	800	950	237500		
16	छपरा न0परि0विदेशी नं0-16 कम्पोजिट-06	2	छपरा नगर परिषद् बदलुटेला, लेनुआ, मौना, विष्णुपुरा	1980	4000	337000	567000	6000
				900	300	1200	750	950	230000		
17	नेवाजी टोला चौक देशी/म०देशी शराब दुकान	1	नगर परिषद स्तरीय	2600	400	3000	270000	270000	4000
18	साढ़ा ढाला देशी/म०देशी दुकान शराब दुकान	1	छपरा नगर परिषद्	2600	400	3000	270000	270000	4000
19	तेलपा अग्रवाल पेट्रोल पम्प के आस-पास	1	छपरा नगर परिषद्	2600	400	3000	270000	270000	4000
20	ब्रह्मपुर पुल के आस-पास देशी/म०देशी शराब	1	छपरा नगर परिषद्	2600	400	3000	270000	270000	4000
21	सोनपुर न0पंचादेशी/म०देशी नं0-1 सोनपुर न0पंचादेशी नं0-1	2	सोनपुर नगर पंचायत	2800	400	3200	288000	554500	6000
				1560	3250	266500		
22	सोनपुर न0पंचादेशी/म०देशी नं0-2 सोनपुर न0पंचादेशी नं0-2	2	सोनपुर नगर पंचायत	2800	400	3200	288000	554500	6000
				1560	3250	266500		
23	सोनपुर न0पंचादेशी/म०देशी नं0-3 सोनपुर न0परि0 विदेशी नं0-3	2	सोनपुर नगर पंचायत	2800	400	3200	288000	554500	6000
				1560	3250	266500		
24	सोनपुर न0पंचादेशी/म०देशी नं0-4 सोनपुर न0पंचादेशी नं0-4	2	सोनपुर नगर पंचायत	2800	400	3200	288000	554500	6000
				1560	3250	266500		
25	सोनपुर न0पंचादेशी/म०देशी नं0-5 सोनपुर न0पंचादेशी नं0-5	2	सोनपुर नगर पंचायत	2800	400	3200	288000	554500	6000
				1560	3250	266500		
26	दिघवारा न0पंचादेशी/म०देशी नं0-1 दिघवारा न0पंचादेशी/म०देशी नं0-2	2	दिघवारा नगर पंचायत	1600	200	1800	162000	324000	6000
				1600	200	1800	162000		
27	दिघवारा न0पंचादेशी नं0-1 दिघवारा न0पंचादेशी नं0-2	2	दिघवारा नगर पंचायत	1100	3000	195000	390000	6000
				1100	3000	195000		
28	रिविलगंज न0पंचादेशी नं0-1 रिविलगंज न0पंचादेशी नं0-2	3	रिविलगंज नगर पंचायत	900	2500	160000	615500	8000
				900	2500	160000		
	कम्पोजिट 07		ताजपुर, गोबरही, घोरहट	1925	275	2200	600	750	295500		

संख्या	दुकान का नाम	समूह में दुकानों की संख्या	दुकानों का क्षेत्र	मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा					मासिक अनुच्छाशुल्क की राशि (रुपया)	समूह का मासिक अनुच्छाशुल्क (रुपया)	आवेदन शुल्क (रुपया)
				देशी	म०देशी	योग	विदेशी	बीयंर			
				(L.P.L)	(L.P.L)	(L.P.L)	(L.P.L)	(B.L)			
29	रिविलगंज न०पंचादेशी/म०दे०न०-१	2	रिविलगंज नगर पंचायत	2117	268	2385	214650	429300	6000
	रिविलगंज न०पंचादेशी/म०दे०न०-२			2117	268	2385	214650		
30	मकौरा न०पंचादेशी/म०दे० न०-१	3	मकौरा नगर पंचायत	1600	100	1700	153000	573000	9000
	मकौरा न०पंचादेशी न०-१			1200	3000	210000		
	मकौरा न०पंचादेशी न०-२			1200	3000	210000		
31	मकौरा न०पंचादेशी/म०दे० न०-२	3	मकौरा नगर पंचायत	500	300	800	72000	483000	7000
	कम्पोजिट-०८		रसूलपुर, मनोरपुर, हुस्सेपुर	1050	150	1200	600	750	205500		
	कम्पोजिट-०९		पचरौर, आगरापुर, सरैया, रत्नाकर	1050	150	1200	600	750	205500		
32	एकमा न०पंचादेशी/म०दे० न०-१	3	एकमा नगर पंचायत	2695	385	3080	277200	794800	8000
	एकमा न०पंचादेशी न०-१			1540	3200	263000		
	कम्पोजिट-१०			मोने, आमडाढ़ी	1200	240	1440	720	1700	254600	
33	एकमा न०पंचादेशी/म०दे० न०-२	3	एकमा नगर पंचायत	2695	385	3080	277200	794800	8000
	एकमा न०पंचादेशी न०-२			1540	3200	263000		
	कम्पोजिट-११			हंसराजपुर, भोरहोपुर	1200	240	1440	720	1700	254600	
34	परसा न०पंचादेशी/म०दे० न०-१	2	परसा नगर पंचायत	1540	220	1760	158400	316800	6000
	परसा न०पंचादेशी/म०दे० न०-२			1540	220	1760	158400		
35	परसा न०पंचादेशी न०-१	2	परसा नगर पंचायत	1320	3200	230000	460000	6000
	परसा न०पंचादेशी न०-२			1320	3200	230000		
36	गङ्गरा प्र०मु०देशी/म०दे० न०-१	3	गङ्गरा प्रखंड मुख्यालय	1638	234	1872	168480	526980	8000
	गङ्गरा प्र०मु० विदेशी न०-१			1232	1400	198800		
	कम्पोजिट-१२			महमदा, फेलसा, सरणटी,	770	110	880	480	850	159700	
37	गङ्गरा प्र०मु०देशी/म०दे० न०-२	3	गङ्गरा प्रखंड मुख्यालय	1638	234	1872	168480	526980	8000
	गङ्गरा प्र०मु० विदेशी न०-२			1232	1400	198800		
	कम्पोजिट-१३			महम्मदपुर, रामपुर, कुदरबाघा	770	110	880	480	850	159700	
38	मसरख प्र०मु०देशी/म०दे० न०-१	2	मसरख प्रखंड मुख्यालय	1800	200	2000	180000	427000	6000
	मसरख प्र०मु० विदेशी न०-१			1500	2200	247000		
39	मसरख प्र०मु० देशी/म०दे० न०-२	2	मसरख प्रखंड मुख्यालय	1800	200	2000	180000	427000	6000
	मसरख प्र०मु० विदेशी न०-२			1500	2200	247000		

रा. रा०	दुकान का नाम	समूह में दुकानों की संख्या	दुकानों का क्षेत्र	मासिक व्युत्पन्न प्रत्याभूत मात्रा					मासिक अनुज्ञाशुल्क की राशि (रुपया)	समूह का मासिक अनुज्ञाशुल्क (रुपया)	आवेदन शुल्क (रुपया)
				देशी	म०देशी	योग	विदेशी	बीचर			
				(L.P.L)	(L.P.L)	(L.P.L)	(L.P.L)	(B.L)			
40	प्र०मु० स्तरीय चन्दौरा बाजार देशी/म०देशी नं०-१	2	चन्दौरा बाजार	2500	350	2850	256500	422500	6000
	प्र०मु० स्तरीय चन्दौरा बाजार विदेशी नं०-१			1000	1600	166000		
41	प्र०मु० स्तरीय कोपा देशी/म०देशी नं०-१	2	कोपा बाजार	1540	220	1760	158400	341700	6000
	प्र०मु० स्तरीय कोपा विदेशी नं०-१			1122	1500	183300		
42	प्र०मु० स्तरीय कोपा देशी/म०देशी नं०-२	2	कोपा बाजार	1540	220	1760	158400	341700	6000
	प्र०मु० स्तरीय कोपा विदेशी नं०-२			1122	1500	183300		
43	प्र०मु० स्तरीय कौंहड़ा बाजार देशी/म०देशी नं०-१	2	कौंहड़ा बाजार	2700	200	2900	261000	399000	6000
	प्र०मु० स्तरीय कौंहड़ा बाजार विदेशी नं०-१			820	1500	138000		
44	तरैया प्र० मु० देशी/म०देशी नं०-१	3	तरैयां प्र० मु०	2200	350	2550	229500	604000	8000
	तरैया प्र० मु० विदेशी नं०-१			1232	1450	199300		
	कम्पोजिट-१४		माधोपुर, चन्दौलिया, पचमिंडा	770	110	880	580	900	175200		
45	मांझी प्र० मु० देशी/म०देशी नं०-१	3	मांझी प्र० मु०	2213	317	2530	227700	633000	8000
	मांझी प्र० मु० विदेशी नं०-१			1332	1500	214800		
	कम्पोजिट-१५		मांझी, कौरू-धौरू	962	138	1100	550	900	190500		
46	प्र०मु० लहलादपुर(जनता बाजार) देशी/म०देशी नं०-	3	लहलादपुर प्रखण्ड मुख्यालय	1500	260	1760	158400	640400	9000
	प्र०मु० लहलादपुर(जनता बाजार) विदेशी नं०-१			1500	1600	241000		
	प्र०मु० लहलादपुर(जनता बाजार) विदेशी नं०-२			1500	1600	241000		
47	प्र०मु० लहलादपुर(जनता बाजार) देशी/म०देशी नं०-	3	लहलादपुर प्रखण्ड मुख्यालय	500	100	600	54000	475200	7000
	कम्पोजिट-१६		पुरुषोत्तमपुर, बनपुरा, बसही	1312	188	1500	680	900	246000		
	कम्पोजिट-१७		कठेयां, मिजापुर, लौवांकला	700	180	880	580	900	175200		
48	प्र० मु० मकेर देशी/म०देशी नं०-१	3	मकेर प्र० मु०	2117	303	2420	217800	636400	9000
	प्र० मु० मकेर देशी/म०देशी नं०-२			2117	303	2420	217800		
	प्र० मु० मकेर विदेशी नं०-२			1232	1600	200800		
49	प्र०मु० नगरा देशी/म०देशी नं०-१	2	नगरा प्र० मु०	1530	200	1730	155700	311400	6000
	प्र०मु० नगरा देशी/म०देशी नं०-२			1530	200	1730	155700		
50	प्र०मु० नगरा विदेशी नं०-१	2	नगरा प्र० मु०	1000	1600	166000	332000	6000
	प्र०मु० नगरा विदेशी नं०-२			1000	1600	166000		

सं. नं०	दुकान का नाम	समूह में दुकानों की संख्या	दुकानों का क्षेत्र	मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा					मासिक अनुज्ञाशुल्क की राशि (रुपया)	समूह का मासिक अनुज्ञाशुल्क (रुपया)	आवेदन शुल्क (रुपया)
				देशी	म०देशी	योग	विदेशी	बीयर			
				(L.P.L)	(L.P.L)	(L.P.L)	(L.P.L)	(B.L)			
51	प्र०मु०स्तरीय डेरनी देशी/म०दे०नं०-१	2	डेरनी बाजार	1540	220	1760	158400	342700	6000
	प्र०मु०स्तरीय डेरनी विदेशी नं०-१			1122	1600	184300		
52	प्र०मु० इसुआपुर देशी/म०दे० नं०-१	3	इसुआपुर प्र०मु०	2405	335	2740	246600	670900	8000
	प्र०मु० इसुआपुर विदेशी नं०-१			1342	1600	217300		
	कम्पोजिट- 18		निपनियां, रामचौरा, सहवां	963	137	1100	660	900	207000		
53	प्र०मु० जलालपुर देशी/म०दे० नं०-१	2	जलालपुर प्र० मु०	1400	200	1600	144000	288000	6000
	प्र०मु० जलालपुर देशी/म०दे० नं०-२			1400	200	1600	144000		
54	प्र०मु० जलालपुर विदेशी नं०-१	2	जलालपुर प्र० मु०	800	1600	136000	272000	6000
	प्र०मु० जलालपुर विदेशी नं०-२		जलालपुर प्र० मु०	800	1600	136000		
55	प्र०मु०बनियापुर देशी/म०दे० नं०-१	3	बनियापुर प्र० मु०	2213	317	2530	227700	611200	8000
	प्र०मु०बनियापुर विदेशी नं०-१			1230	1600	200500		
	कम्पोजिट- 19		सरैयां, सतुआ सिसई	962	138	1100	500	900	183000		
56	प्र०मु०स्तरीय डोरीगंज देशी/म०दे० नं०-१	3	डोरीगंज बाजार	2500	350	2850	256500	588500	9000
	प्र०मु०स्तरीय डोरीगंज विदेशी नं०-१			1000	1600	166000		
	प्र०मु०स्तरीय डोरीगंज विदेशी नं०-२			1000	1600	166000		
57	प्र०मु० अमनौर देशी/म०दे० नं०-१	3	अमनौर प्र० मु०	2600	400	3000	270000	720000	8000
	प्र०मु० अमनौर विदेशी नं०-१			1500	1800	243000		
	कम्पोजिट- 20		भावलपुर, हसनपुरा, नौतन	963	137	1100	660	900	207000		
58	प्र०मु०स्तर शीतलपुर देशी/म०दे० श०दुकान	3	शीतलपुर बाजार	1860	200	2060	185400	547400	9000
	प्र०मु०स्तर शीतलपुर विदेशी नं०-१			1100	1600	181000		
	प्र०मु०स्तर शीतलपुर विदेशी नं०-२			1100	1600	181000		
59	प्र०मु०स्तरीय नयागांव देशी/म०दे० नं०-१	3	नयागांव बाजार	1412	180	1592	143280	571080	8000
	प्र०मु०स्तरीय नयागांव विदेशी नं०-१			1300	1500	210000		
	कम्पोजिट- 21		फटोहपुर चैन, सज्जनपुर मठिहान, प्रतापपुर, खानपुर	1155	165	1320	600	900	217800		
60	प्र०मु० स्तरीय दाउदपुर देशी/म०दे० नं०-१	2	दाउदपुर बाजार	1900	200	2100	189000	323000	6000
	प्र०मु० स्तरीय दाउदपुर विदेशी नं०-१			800	1400	134000		

क्र. सं०	दुकान का नाम	समूह में दुकानों की संख्या	दुकानों का क्षेत्र	मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा					मासिक अनुज्ञाशुल्क की राशि (रुपया)	समूह का मासिक अनुज्ञाशुल्क (रुपया)	आवेदन शुल्क (रुपया)
				देशी	म०देशी	योग	विदेशी	बीयर			
				(L.P.L)	(L.P.L)	(L.P.L)	(L.P.L)	(B.L)			
61	प्र०मु० स्तरीय दाउदपुर देशी/म०दे० नं०-२	2	दाउदपुर बाजार	1900	200	2100	189000	323000	6000
	प्र०मु० स्तरीय दाउदपुर विदेशी नं०-२			800	1400	134000		
62	प्र० मु० स्तर रसूलपुर देशी/म०दे० नं०-१	3	रसूलपुर बाजार	2695	385	3080	277200	831600	9000
	प्र० मु० स्तर रसूलपुर देशी/म०दे० नं०-२			2695	385	3080	277200		
	प्र० मु० स्तर रसूलपुर देशी/म०दे० नं०-३			2695	385	3080	277200		
63	प्र०मु०स्तरीय रसूलपुर विदेशी नं०-१	3	रसूलपुर बाजार	900	1600	151000	453000	9000
	प्र०मु०स्तरीय रसूलपुर विदेशी नं०-२			900	1600	151000		
	प्र०मु०स्तरीय रसूलपुर विदेशी नं०-३			900	1600	151000		
64	प्र०मु०स्तरीय चैरा देशी/म०दे०नं०-१	3	चैरा बाजार	1540	220	1760	158400	492400	8000
	प्र०मु०स्तरीय चैरा विदेशी नं०-१			800	1600	136000		
	कम्पोजिट-22			963	137	1100	600	900	198000		
65	प्र०मु० दरियापुर (बिला) देशी/म०दे० नं०-१	2	प्र०मु० दरियापुर(बिला)	1485	135	1620	145800	313600	6000
	प्र०मु० दरियापुर (बिला) विदेशी नं०-१			1012	1600	167800		
66	प्र०मु० पानापुर देशी/म०दे० नं०-१	3	पानापुर प्र० मु०	1500	300	1800	162000	462500	8000
	प्र०मु० पानापुर विदेशी नं०-१			800	1400	134000		
	कम्पोजिट-23			अगौथर, सुन्दर, चकहन, केरवां	875	125	1000	450	900	166500	
67	प्र०मु० स्तरीय परसागढ़ देशी/म०दे० नं०-१	3	परसागढ़ बाजार	1635	235	1870	168300	515700	8000
	प्र०मु० स्तरीय परसागढ़ देशी/म०दे० नं०-२			1635	235	1870	168300		
	कम्पोजिट-24		किश्चुनपुर लौआर, दयालपुर, फुचटीकला	880	110	990	540	900	179100		

क्र. सं.	दुकान का नाम	समूह और दुकानों की संख्या	दुकानों का क्षेत्र	मासिक व्युत्पन्न प्रत्याभूत मात्रा					मासिक अनुच्छानशुल्क की राशि (रुपया)	समूह का मासिक अनुच्छानशुल्क (रुपया)	आवेदन शुल्क (रुपया)
				देशी	म०देशी	योग	विदेशी	बीयर			
				(L.P.L)	(L.P.L)	(L.P.L)	(L.P.L)	(B.I.)			
68	प्र०मु० स्तरीय परसागढ़ विदेशी नं०-१	3	परसागढ़ बाजार	800	1500	135000	469500	8000
	प्र०मु० स्तरीय परसागढ़ विदेशी नं०-२			800	1500	135000		
	कम्पोजिट- 25		रामपुर, बिंदालाल, छत्रवलिया बाजार	1000	200	1200	550	900	199500		
69	प्र० मु० स्तरीय आमी विदेशी शराब दुकान	2	आमी बाजार	1122	1500	183300	382800	5000
	कम्पोजिट- 26		कोठेयां, झौंवा (धनोरा), हराजी	1062	138	1200	550	900	199500		
70	प्र० मु० स्तरीय गौरा देशी/म०देशी शराब दुकान	2	गौरा बाजार	1300	200	1500	135000	253000	6000
	प्र० मु० स्तरीय गौरा विदेशी शराब दुकान			720	1000	118000		
71	प्र० मु० स्तरीय भेट्टी देशी/म०देशी शराब दुकान	3	भेट्टी बाजार	1300	200	1500	135000	482100	8000
	प्र० मु० स्तरीय भेट्टी विदेशी शराब दुकान			720	1000	118000		
	कम्पोजिट- 27		पैगामिन्सेन, शेखपुरा, अपहर	1347	193	1540	550	800	229100		
72	कम्पोजिट - 28	1	रायपुर, बिनगावां, कोटवांपट्टी रामपुर, छडहरा, महाजी	1140	160	1300	530	700	203500	203500	2000
73	कम्पोजिट- 29	1	महाराजगंज, जलालपुर	1540	300	1840	840	800	299600	299600	2000
74	कम्पोजिट-3 0	2	सिताब दियारा, दक्षिणवाडी चक्की	1340	220	1560	580	750	234900	427500	4000
	कम्पोजिट-3 1		चैरवार, मोहब्बत परसा	1000	140	1140	550	750	192600		
75	कम्पोजिट-3 2	1	सबलपुर मध्यवर्ती, सबलपुर पूर्वी, जाहांगीरपुर	1540	300	1840	720	800	281600	281600	2000
76	कम्पोजिट-3 3	1	सबलपुर उत्तरी, सबलपुर पश्चिमी, गंगाजल	1740	300	2040	840	800	317600	317600	2000
77	कम्पोजिट-3 4	2	कसमर, खरिका, गोविंदगढ़	1155	205	1360	570	800	215900	424400	4000
	कम्पोजिट-3 5		परसौना, बारये, हरना, माझर, बहर माझर	1100	150	1250	600	600	208500		

सं०	दुकान का नाम	समूह में दुकानों की संख्या	दुकानों का क्षेत्र	मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा					मासिक अनुक्राशुल्क की राशि (रुपया)	समूह का मासिक अनुक्राशुल्क (रुपया)	आवेदन शुल्क (रुपया)
				देशी	म०देशी	योग	विदेशी	बीयर			
				(L.P.L)	(L.P.L)	(L.P.L)	(L.P.L)	(B.I)			
78	कम्पोजिट-3 6	1	परमानंदपुर, चतरपुर	1155	205	1360	580	800	217400	217400	2000
79	कम्पोजिट-3 7	1	भरपुरा, शाहपुर दियारा, नजरमीरा	1155	205	1360	800	750	249900	249900	2000
80	कम्पोजिट-3 8	1	मनपुरा, भंगरपाल, दरिहारा	1155	205	1360	720	800	238400	238400	2000
81	कम्पोजिट-3 9	1	हरिहरपुर, सुतिहार, विश्वभरपुर	1155	205	1360	560	800	214400	214400	2000
82	कम्पोजिट-4 0	1	त्रिलोकचक, अकिलपुर, मानुपुर बरुआ	1155	205	1360	880	800	262400	262400	2000
83	कम्पोजिट-4 1	1	दुर्घैला, शिकारपुर, कल्याणपुर	1200	200	1400	1000	1200	288000	288000	2000
84	कम्पोजिट-4 2	1	धरहरा खुर्द, अमनौर कल्याण, बसंतपुर, धर्मपुर जाफर	1600	200	1800	800	800	290000	290000	2000
85	कम्पोजिट-4 3	2	चांदपुरा, छोलाही, सोनहो	1400	200	1600	700	800	257000	505000	4000
	कम्पोजिट-4 4		मोतिराजपुर, साधपुर	1300	200	1500	700	800	248000		
86	कम्पोजिट-4 5	1	अतरसन, असहनी, एकसार	1000	140	1140	600	800	200600	200600	2000
87	कम्पोजिट-4 6	1	बलिगांव, अंजनी, बजौता	800	150	950	500	700	167500	167500	2000
88	कम्पोजिट-4 7	1	बाधाकोल, तारा अमनौर	800	110	910	650	700	186400	186400	2000
89	कम्पोजिट-4 8	1	अफौर, कोरेया	1155	165	1320	720	900	235800	235800	2000
90	कम्पोजिट-4 9	1	झनायतपुर, बलेसरा, भट्केसरी, नसीरा	1200	165	1365	720	800	238850	238850	2000
91	कम्पोजिट-5 0	1	मीठेपुर, मुकीमपुर, बाजितपुर,	1200	300	1500	700	900	249000	249000	2000
92	कम्पोजिट-5 1	1	पचपटिया, मिर्जापुर, इट्या, जलालबसंत (बसंत बाजार)	800	100	900	480	800	161000	161000	2000
93	कम्पोजिट-5 2	2	रायपुरा, योगनी-परसा, मदारपुर	1400	200	1600	650	900	250500	526500	4000
	कम्पोजिट-5 3		कटसा, कोरेया, तरवारा	1600	200	1800	700	900	276000		

क्रमांक	दुकान का नाम	समूह में दुकानों की संख्या	दुकानों का क्षेत्र	मासिक व्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा					मासिक अनुज्ञाशुल्क की राशि (रुपया)	समूह का मासिक अनुज्ञाशुल्क (रुपया)	आवेदन शुल्क (रुपया)
				देशी	म०देशी	योगं	विदेशी	बीयर			
				(L.P.L)	(L.P.L)	(L.P.L)	(L.P.L)	(B.L)			
9 4	कम्पोजिट- 5 4	2	सिल्हौडी, तेजपुरवा, मिर्जापुर	1200	200	1400	500	800	209000	374500	4000
	कम्पोजिट- 5 5		ओल्हनपुर, मुबारकपुर, तकिया, (खोदाहिबाग)	900	100	1000	450	800	165500		
9 5	कम्पोजिट- 5 6	3	चांदकुदरियां, कर्ण कुदरियां, झुमरसन	1443	207	1650	550	800	239000	663800	6000
	कम्पोजिट- 5 7		अरना, बंगरा, कबलपुरा	1155	165	1320	660	900	226800		
	कम्पोजिट- 5 8		टोट्हा जगतपुर, धेनुकी, रसौली	963	137	1100	600	900	198000		
9 6	कम्पोजिट- 5 9	2	बहरौली, दुरगौली, जजौली, चंजुरी, नवादा	1443	207	1650	660	800	255500	484580	4000
	कम्पोजिट- 6 0		बेटौर, सतजोड़ा, चकिया	1062	300	1362	650	900	229080		
9 7	कम्पोजिट- 6 1	1	सोनौली, सिमरी, गंगौली, छपियां	600	100	700	500	700	145000	145000	2000
9 8	कम्पोजिट- 6 2	1	रामपुर अटैली, लौवां, जैथर	740	110	850	600	800	174500	174500	2000
9 9	कम्पोजिट- 6 3	1	नवादा, छुमना, सम्हौता	800	200	1000	700	900	204000	204000	2000
10 0	कम्पोजिट- 6 4	1	मनीकपुरा, कङ्घी बैटौली कब्जौली, भुसाव	1400	200	1600	600	800	242000	242000	2000
10 1	कम्पोजिट- 6 5	2	सहाजितपुर, कराह,	1250	190	1440	660	800	236600	429550	4000
	कम्पोजिट- 6 6		मानोपाली, धब्बी, गोचा, पिपरपांती, मदारपुर,	940	115	1055	600	800	192950		
10 2	कम्पोजिट- 6 7	2	धनगरहा, मरिचा	1370	190	1560	660	750	246900	463400	4000
	कम्पोजिट- 6 8		हरपुर, पिठौरी, भिट्ठी शहाबुद्दीन, कमता	1250	150	1400	550	800	216500		
10 3	कम्पोजिट- 6 9	1	रामधनांव, सुर्योदा, पिरौट खास, माथोपुर	1700	200	1900	800	800	299000	299000	2000
10 4	कम्पोजिट- 7 0	1	फिशनपुर, रामपुर, बूरनगर	1000	100	1100	500	774	181740	181740	2000
10 5	कम्पोजिट- 7 1	1	रेवारी, सकड़ी,	1444	206	1650	660	700	254500	254500	2000

संख्या	दुकान का नाम	समूह में दुकानों की संख्या	दुकानों का क्षेत्र	मासिक व्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा					मासिक अनुज्ञाशुल्क की राशि (रुपया)	समूह का मासिक अनुज्ञाशुल्क (रुपया)	आवेदन शुल्क (रुपया)	
				देशी	म०देशी	योग	विदेशी	बींचर				
				(L.P.L)	(L.P.L)	(L.P.L)	(L.P.L)	(B.L)				
106	कम्पोजिट-72	3	महरमदपुर, भजौना, नदाप, भलुआ बुजुर्ग	862	138	1000	550	700	179500	595800	6000	
	कम्पोजिट-73		मुबारकपुर, चेपुल, मटियार	900	100	1000	520	700	175000			
	कम्पोजिट-74		देवपुरा, बलिया, बनपुरा (पकवा हुनार)	1443	207	1650	572	700	241300			
107	कम्पोजिट-75	2	बरेजा, मदनसाठ, शीतलपुर	1443	207	1650	660	700	254500	470300	4000	
	कम्पोजिट-76		डुमरी, बंगरा, सोनबर्जा	1155	165	1320	600	700	215800			
108	कम्पोजिट-77	1	पिरौना, मिरपुर जुअरा, हसनपुरा	1200	320	1520	770	700	259300	259300	2000	

214

228954 32984 261938 141484 236124 47158260 47158260 596000



समहर्ता
सारण, छपरा